न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 898/दो/2008 – विरूद्ध आदेश दिनांक 17.07.2008 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, चम्वल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 192/2007–08 अपील

राहुल मिश्रा पुत्र सिद्ध गोपाल मिश्रा
निवासी ग्राम फूफ तहसील व जिला भिण्ड –––––आवेदक

विरूद्ध

जसबन्त सिंह (मृतक) पुत्र गजराज सिंह
वारिस
1– श्रीमती कैलाशी पत्नि स्व.जसबंत सिंह
2– रामनरेश 3– सिध्द गोपाल 4– राजेश
5– उमेश चारों पुत्रगण स्व. जसबंत सिंह
सभी निवासी ग्राम फूफ तहसील भिण्ड –––––अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदक क. 1,2,4,5 के अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा)
(अनावेदक क. 3 सूचना उपरांत अनुपस्थित – एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 19– 1 – 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्वल संभाग, मुरैना के प्र. क. 192/2007–08 अपील में पारित आदेश दि. 17.07.08 के विरूद्ध म.प्र. भू राज. संहिता,1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि मौजा फूफ स्थित खाता कमांक 592 की भूमि सर्वे कमांक 64 रकबा 0.480 है. एंव खाता कमांक 593 की भूमि सर्वे नंबर 93 रकबा 0.314 है. जसबंत एंव सुखानंद के नाम हिस्सा 1/2 पर सामिलाती अंकित थी। सुखानंद की मृत्यु उपरांत उसके वारिस जसबंत ने नायव तहसीलदार फूफ को वारिसान के आधार पर नामान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। सुखानंद के

हिस्से की भूमि बसीयत के आधार पर नामान्तरण करने हेतु आवेदन आवेदक ने प्रस्तुत किया। नायव तहसीलदार फूफ ने प्रकरण क्रमांक 17/2007-08 अ-6 पंजीबद्ध किया तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 28.4.2008 पारित किया एंव मृतक सुखानंद की भूमि पर उसके भाई जसबंत सिंह का वारिस के आधार पर नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी, अटेर के समक्ष अपील क्रमांक 45/2007-08 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 29-5-2008 से अपील अस्वीकार की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील क्रमांक 192/2007-08 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 17 जुलाई 2008 से अपील निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक क्रमांक 3 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि जसबंत पुत्र गजराज सिंह विवादित खाते का सह-हिस्सेदार है। सुखानंद के कोई ओलाद नहीं थी इसलिये वह आवेदक के पिता के साथ रहता था इसी कारण सुखानंद ने अपने हिस्से की संपूर्ण कृषि भूमि का रजिस्टर्ड बसीयतनामा आवेदक के हित में लिखवाया है। मृतक सुखानंद की भूमि पर जसबंत सिंह ने वारिसान के आधार पर नामांत्रण करने का आवेदन नायव तहसीलदार के समक्ष दिया है। जब मृतक सुखानंद निःसंतान होने से आवेदक के पक्ष में बसीयत कर रहा है एंव निर्वसीयत नहीं मरा है बसीयत के आधार पर नायव तहसीलदार ने नामान्तरण न करने की भूल की है। इसलिये निगरानी स्वीकार की जावे। अनावेदक क्र. 1,2,4,5 के अभिभाषक ने तर्क दिया कि जसबंत

सिंह एंव सुखानंद सगे भाई थे दोनों साथ रहते थे। सुखानंद के कोई ओलाद नहीं होने से उसकी कृषि भूमि जसबंत सिंह को सगा भाई होने के कारण जायेगी। उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि कास्तकार सुखानंद बेओलाद मरा है। यह तथ्य भी निर्विवाद है कि जसबंत सिंह एंव सुखानंद सगे भाई हैं तथा सुखानंद व्दारा धारित भूमि उसकी स्वअर्जित भूमि नहीं है अपितु उसे पिता से उत्तराधिकार में हिस्सा 1/2 पर प्राप्त भूमि है। सहखातेदार ऐसी भूमि बसीयत नहीं कर सकता, जब तक कि खाते का विभाजन नहीं हो गया हो, क्योंकि कौनसा हिस्सा व कितनी भूमि सहखातेदार को बटवारे में जायेगी, बटवारे के वाद ही पता चल सकता है। वाद विचारित भूमि सहखाते की है ऐसी भूमि की बसीयत है भी - बसीयतग्रहीता को नामान्तरण की पात्रता नहीं है, क्योंकि सुखानन्द एंव जसबंत सिंह को पिता गजराज सिंह से विरासत में प्राप्त भूमि गजराज सिंह के बॅशजों को विरासत में जायेगी । अतः मृतक सुखानंद के तत्समय जीवित भाई जसबंत सिंह को नामान्तरण कराने की पात्रता होने से नायव तहसीलदार फूफ ने प्रकरण क्रमांक 17/2007-08 अ-6 में सभी पक्षों की समुचित सुनवाई करते हुये आदेश दिनांक 28.4.2008 से मृतक खातेदार सुखानंद के सगे भाई गजराज सिंह का नामांत्रण किया है, जिसके कारण गजराज सिंह के किये गये नामान्तरण को अधीनस्थ न्यायालयों ने सही होना माना है। अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना के आदेश दिनांक 17.7.2008 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने आदेश के पद 5 एक लगायत 5 चार में विस्तृत विवेचना कर निष्कर्ष निकाले हैं एंव अनुविभागीय अधिकारी अटेर व्दारा प्रकरण क्रमांक 1/07-08अपील

में पारित आदेश दिनांक 24.1.08 को तथा नायव तहसीलदार फूफ व्दारा पारित आदेश दिनांक 29.4.2008 को उचित ठहराया हैं। वैसे भी अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना के आदेश दिनांक 17.7.2008 , अनुविभागीय अधिकारी अटेर के आदेश दिनांक 24.1.08 तथा नायव तहसीलदार फूफ व्दारा पारित आदेश दि. 29.4.2008 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिनमें हस्तक्षेप का औचित्य नजर नहीं आता है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्र0क0 192/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 17-7-08 एंव अनुविभागीय अधिकारी अटेर व्दारा प्रकरण क्रमांक 17/07-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 29.5.08 विधिवत् होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं। अस्तु अपील अस्वीकार की जाती है। फलतः नायव तहसीलदार फूफ द्वारा प्रकरण क्रमांक 17/2007-08 अ-6 में पारित आदेश दि. 28.4.2008 स्थिर रहने से मृतक सुखानंद के स्थान पर जसबंत सिंह के नाम किया गया नामान्तरण यथावत् रहता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर